उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः– 20.02.2026

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांकः -20.02.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों की समस्याओं के निस्तारण एवं त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई आयोजित की गयी।
- जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए प्रत्येक फरियादी को निष्पक्ष व गुणवत्तापूर्ण समाधान का आश्वासन दिया गया। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से किया जाए ताकि आमजन का पुलिस पर विश्वास और अधिक मजबूत हो।
- जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से उपस्थित महिला फरियादियों से संवाद कर उनको जागरूक करते हुए महिलाओं को उनकी सुरक्षा, अधिकारों एवं शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई तथा उन्हें निडर होकर अपनी बात रखने हेतु प्रेरित किया गया।
- पुलिस अधीक्षक महोबा ने कहा कि जनपद महोबा पुलिस आमजन की सुरक्षा, न्याय एवं सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित है।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांकः– 20.02.2026

मीडिया सेल, महोबा

मिशन शक्ति 5.0 : नारी सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन को लेकर महोबा पुलिस का सशक्त जागरुकता अभियान...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में "मिशन शक्ति अभियान फेज-5" के अन्तर्गत आज दिनांक- 20.02.2026 को जनपद महोबा में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं विश्वास का वातावरण सुदृढ़ करने के उद्देश्य से व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया।

"मिशन शक्ति 5.0" अभियान के अन्तर्गत जनपद के समस्त थानों द्वारा प्रमुख बाजारों, कस्बों, चौराहों, धार्मिक स्थलों एवं अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर महिला पुलिस कर्मियों की सक्रिय सहभागिता से महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तथा सुरक्षा संबंधी संसाधनों की जानकारी प्रदान की गई।

अभियान के दौरान विभिन्न विभागों की योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई आर्थिक सहायता योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम सम्मान निधि योजना, वन स्टॉप सेंटर, आयुष्मान योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना आदि की जानकारी पंपलेट के माध्यम से दी गई।

महिलाओं को पुलिस विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों जैसे वीमेन पावर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, सीएम हेल्पलाइन-1076, स्वास्थ्य सेवा-102, एम्बुलेंस सेवा-108, महिला हेल्पलाइन-181, साइबर क्राइम हेल्पलाइन-1930 आदि के बारे में भी विस्तार से अवगत कराया गया।

महोबा पुलिस द्वारा चलाया गया यह अभियान महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा, आत्मनिर्भरता की सोच और सम्मान का भाव विकसित करने की दिशा में एक सशक्त पहल है।

SPEL कार्यक्रम के अंतर्गत घटनास्थल संरक्षण एवं प्रारंभिक जांच प्रक्रिया पर विशेष सत्र आयोजित

आज दिनांक 20.02.2026 को Student Police Experiential Learning (SPEL) कार्यक्रम के तृतीय चरण के अंतर्गत एक विशेष शैक्षिक सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र-छात्राओं को घटनास्थल का संरक्षण, पूछताछ, साक्ष्य संकलन और केस डायरी लेखन जैसी प्रारंभिक जांच प्रक्रिया के विषय में व्यावहारिक जानकारी प्रदान की गई।

सत्र के दौरान विद्यार्थियों को बताया गया कि अपराध स्थल को सुरक्षित रखना, साक्ष्यों का व्यवस्थित संकलन, संदिग्धों और गवाहों से पूछताछ करना तथा सभी गतिविधियों का दैनिक केस डायरी में दर्ज करना किस प्रकार प्रभावी विवेचना सुनिश्चित करता है।

कार्यक्रम संवादात्मक शैली में आयोजित किया गया, जिसमें छात्र-छात्राओं ने पुलिस कार्यप्रणाली से संबंधित प्रश्न पूछे और अधिकारियों द्वारा उन्हें सरल एवं व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से समझाया गया।

इस सत्र का उद्देश्य युवाओं में अपराध और जांच प्रक्रिया के प्रति जागरूकता बढ़ाना, पुलिस कार्यप्रणाली से परिचित कराना तथा पुलिस-जन सहभागिता को सुदृढ़ करना रहा।

जनपद महोबा पुलिस द्वारा SPEL कार्यक्रम के अंतर्गत इस प्रकार की प्रशिक्षण एवं जागरूकता गतिविधियाँ नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं।

जनपद महोबा में ग्राम चौकीदारों को साइकिल वितरण, कानून-व्यवस्था और प्रभावी बीट पुलिसिंग में मिलेगा मजबूती

आज दिनांक 20.02.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपद महोबा के विभिन्न थानाक्षेत्रों में तैनात ग्राम प्रहरियों/चौकीदारों की कार्यक्षमता बढ़ाने एवं पुलिस के सूचना तंत्र को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से उन्हें निःशुल्क साइकिल वितरण किया गया।

पुलिस लाइन महोबा में आयोजित इस कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न थानाक्षेत्रों के कुल 48 ग्राम चौकीदारों को साइकिल प्रदान की गई। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह, और क्षेत्राधिकारी नगर, श्री अरुण कुमार सिंह भी उपस्थित रहे।

पुलिस अधीक्षक महोबा ने चौकीदारों से संवाद करते हुए उनके कर्तव्यों और दायित्वों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि ग्राम चौकीदार की सक्रियता अपराध नियंत्रण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सभी चौकीदारों को बीट पुलिस अधिकारी और थाना प्रभारी के लगातार संपर्क में रहने, अपने क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने, नए बाहरी व्यक्तियों की आवाजाही पर ध्यान देने, भूमि विवाद, अवैध शराब एवं अन्य अपराधों की सूचना संबंधित थाने को देने के निर्देश दिए गए।

साइकिल वितरण का उद्देश्य:

- अपराधों पर बेहतर निगरानी रखना।
- अपराधों को रोकने में मदद करना।
- अपने इलाके में बेहतर सेवाएं और सुरक्षा सुनिश्चित करना।

ग्राम चौकीदारों के कर्तव्य:

- अपने प्रभार वाले इलाके में अपराधों पर नजर रखना।
- अपराधों को रोकने एवं संबंधित थाने को सूचित करना।
- ग्राम प्रधान से नियमित रिपोर्ट लेना।
- अपराधियों की पहचान और खोज में मदद करना।
- अपने प्रभार वाले इलाके की सुरक्षा एवं देखभाल करना।

इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्राम चौकीदारों के चेहरे पर खुशी झलक रही थी, और इससे न केवल उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी बल्कि जनपद महोबा में कानून और शांति व्यवस्था मजबूत होगी।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांकः– 20.02.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना कबरई की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शस्त्र व कारतूस की बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम तथा ऐसे अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक-20.02.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष कबरई श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा गठित उ0नि0 अभिनव सिंह मय उ0नि0 अनूप कुमार पाण्डेय मय हमराह हे0कां0 संदीप कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त उमेश यादव पुत्र चन्द्रपाल उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम उटिया थाना कबरई जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद करते हुए ग्राम धरौन थाना कबरई जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 42/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

उमेश यादव पुत्र चन्द्रपाल उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम उटिया थाना कबरई जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 अभिनव सिंह
2. उ0नि0 अनूप कुमार पाण्डेय
3. हे0का0 संदीप कुमार

बरामदगी–

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांकः- 20.02.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

जनपदीय एसओजी व थाना श्रीनगर की संयुक्त पुलिस टीम ने दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले वांछित एवं ₹ 25 हजार के ईनामिया अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक व जनपदवासियों में सुरक्षित परिवेश की भावना जागृत किये जाने के उद्देश्य से जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे ईनामिया, पुरस्कार घोषित व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक- 20.02.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय एसओजी व थाना श्रीनगर की संयुक्त पुलिस टीम के नेतृत्व में थाना श्रीनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 21/2026 धारा 352/74/62/64(2)(M)/87 बीएनएस व मु0अ0सं0 25/26 धारा 351(4) बीएनएस से सम्बन्धित 01 नफर वांछित एवं पुरस्कार घोषित अभियुक्त रामजी यादव पुत्र अशोक यादव उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम मझगंवा खुर्द थाना अजनर जनपद महोबा को ग्राम ननौरा थाना श्रीनगर जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

रामजी यादव पुत्र अशोक यादव उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम मझगवाँ खुर्द थाना अजनर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम का विवरण-

थाना श्रीनगर की पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्रीनगर श्री जयचन्द्र सिंह
2. उ0नि0 देवेन्द्र कुमार ओझा 3. कां0 विवेक दिवाकर

जनपदीय एसओजी टीम-

1. उ0नि0 विवेक यादव
2. कां0 दीपक वर्मा 3. कां0 रंजीत सिंह 4. कां0 आशीष बघेल
5. कां0 निर्भय सिंह 6. कां0 सत्यम सिंह जादौन 7. कां0 निलेश

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:– 20.02.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस लाइन में साप्ताहिक "शुक्रवार परेड" का निरीक्षण कर दिये गये निर्देश।

आज दिनांक 20.02.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में साप्ताहिक "शुक्रवार परेड" की विधिवत सलामी ली गई।

इस अवसर पर महोदय ने परेड का पूर्ण रूप से निरीक्षण किया और उपस्थित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अनुशासन, एकरूपता एवं सजगता बनाए रखने के उद्देश्य से परेड कराई गई। परेड में जनपद के विभिन्न थानों एवं समस्त शाखाओं में तैनात पुलिसकर्मी तथा आरटीसी (RTC) प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षु सम्मिलित हुए।

परेड उपरांत थानों से आई डायल 112 (UP-112) वाहनों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान वाहनों की स्वच्छता, उपकरणों की उपलब्धता एवं कार्यक्षमता की गहन जांच की गई तथा संबंधित कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

इसके अतिरिक्त जी0डी0 कार्यालय आदि का निरीक्षण कर अभिलेखों की स्थिति का अवलोकन किया गया। साप्ताहिक अर्दली रूम के दौरान विभिन्न रजिस्टरों का परीक्षण किया गया और संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। साथ ही लंबित कार्यों के त्वरित निस्तारण हेतु आवश्यक आदेश प्रदान किए गए।

पुलिस अधीक्षक महोबा ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा, अनुशासन एवं जनसेवा की भावना के साथ करने हेतु प्रेरित किया।

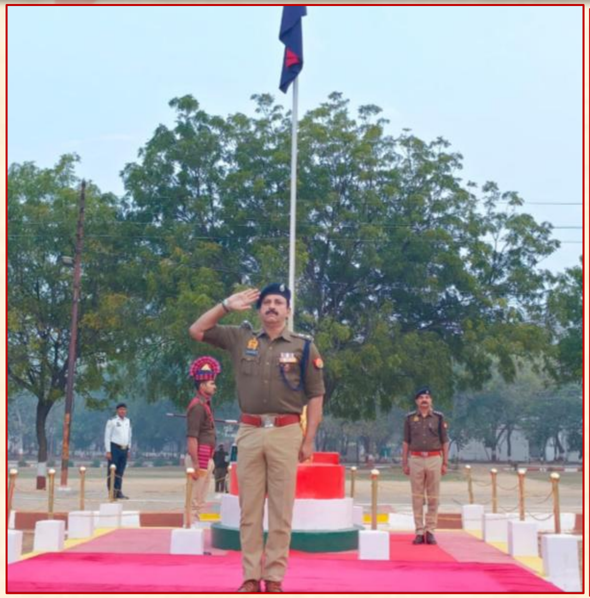

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः– 20.02.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ द्वारा थाना पनवाड़ी व महोबकंठ के विवेचकों के साथ समीक्षा बैठक — विवेचना निस्तारण, कानून-व्यवस्था व डिजिटल अपडेट पर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

आज दिनांक 20.02.2026 को क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकान्त गोंड द्वारा थाना पनवाड़ी एवं महोबकंठ में नियुक्त विवेचकों के साथ लंबित विवेचनाओं के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु अर्दली रूम आयोजित किया गया।

बैठक के दौरान क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा प्रत्येक विवेचक से लंबित विवेचनाओं की प्रगति के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई तथा समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

समीक्षा के दौरान निम्न बिंदुओं पर विशेष निर्देश दिए गए–

- IGRS, CVR एवं DVR प्रविष्टियों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश।
- शस्त्र लाइसेंस के सत्यापन, नवीनीकरण एवं निरस्तीकरण संबंधी प्रकरणों में लंबित मामलों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश।
- गुमशुदगी एवं बरामदगी से संबंधित प्रकरणों की अद्यतन समीक्षा कर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश।
- निरोधात्मक कार्यवाही में सक्रियता बनाए रखने तथा स्थानीय गुंडा/अपराधियों पर सतत निगरानी रखने के निर्देश।
- थाना क्षेत्र में नियमित पैदल गश्त एवं वाहन चेकिंग अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित कर अपराध नियंत्रण एवं आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश।

डिजिटल कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु विशेष निर्देश–

- यक्ष ऐप पर समस्त सूचनाओं एवं कार्रवाई का समय से अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करे।
- e-सम्मन प्रणाली के माध्यम से सम्मनों की तामील में तेजी लाने एवं शत-प्रतिशत डिजिटल प्रविष्टि सुनिश्चित करने के निर्देश।
- I-Raid ऐप के माध्यम से अपराधियों की चेकिंग, सत्यापन एवं निगरानी कार्यवाही को नियमित रूप से अपडेट करने के निर्देश।
- e-साक्ष्य एवं SID पोर्टल पर विवेचनाओं से संबंधित साक्ष्यों एवं केस डायरी का डिजिटल अपलोड समय से पूर्ण करने के निर्देश, जिससे पारदर्शिता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा सभी विवेचकों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक विवेचना को विवेकपूर्ण, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से निर्धारित समयसीमा में निस्तारित किया जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त आगामी होली एवं रमजान पर्व के दृष्टिगत क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ द्वारा सभी थाना प्रभारियों एवं विवेचकों को आवश्यक एहतियाती कदम उठाने, संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने तथा पर्वों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

@MahobaPolice

महोबा पुलिस

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायालय ने किया दण्डित...।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप अपर सिविल जज जू0डि0 महोबा द्वारा अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित करते हुए प्रकरण में पंजीकृत अभियोग से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि की सजा व 2,000/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

विवरण निम्नवत है:-

थाना पनवाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 45/2024 व 329/2024 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त भूपेन्द्र कुशवाहा पुत्र जय प्रकाश निवासी ग्राम निसवारा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा को जेल में बिताई गई अवधि की सजा व 2,000/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

महोबा पुलिस

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹7,000/- के जुर्माने की सजा

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी के क्रम में अभियुक्त द्वारा वादिनी के वाडे में घुसकर वादिनी के साथ दुष्कर्म करना व जान से मारने की धमकी देने की घटना कारित करने वाले आरोपी अभियुक्त को ए.एस.जे/एफ.टी.सी. कोर्ट महोबा द्वारा "10 वर्ष का सश्रम कारावास व 7000/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

❖ **विवरण निम्नवत है:-**

थाना श्रीनगर में पंजीकृत मु.अ.सं. 172/2019 धारा 376/452/323/506 भादवि व 66/67 आईटी एक्ट से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त आशाराम पुत्र भूपेन्द्र सिंह यादव निवासी लुहेडी थाना श्रीनगर जनपद महोबा को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 7000 हजार/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

सुरेन्द्र राजपूत
अभियोजन अधिकारी

कां. ज्ञानेन्द्र सिंह
पैरोकार थाना कबरई